<u>प्रेस नोट</u> **<u>पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद</u>** **<u>दिनांक 17.02.2025</u>**

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कुटी बरामद ।

दिनांक 16/02/2025 को वादी श्री रिखी राम पुत्र श्री दयाराम निवासी एफ 432 बी नन्दग्राम ने सूचना दी कि मेरी स्कुटी हीरो UP 16 CZ 8415 मेरे घर के बाहर से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गयी है । उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 17-02-25 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को पिंक बूथ नन्दग्राम के पास से चोरी की स्कुटी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त चन्दु व अभिषेक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों नशे के आदी है। अपना नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी जैसे अपराध कारित करते हैं।

<u>अभियुक्तण का नाम व पता—</u>

1. चन्दु पुत्र बिरजु निवासी एफ-389 नियर टैम्पो स्टैण्ड नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-20 वर्ष
2. अभिषेक ठाकुर पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह निवासी एफ 425 बी टावर नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण—</u>

चोरी की स्कुटी हीरो रजि नं0 UP 16 CZ 8415

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी/नकबजनी की घटना का सफल अनावरण कर 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 75 अदद औकाया कम्पनी की बैटरी (जिसमें 50 बैटरी ई-रिक्शा व 25 बैटरी बडी) व 03 अदद औकाया कम्पनी के इन्वर्टर सील बन्द व घटना में प्रयुक्त एक कार आई-10 बरामद ।

दिनांक 14.02.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 13/02/2025 की रात को गोदाम ओकाया पावर प्राइवेट लिमिटेड पता C-13,14,15, C-23,24 खसरा नं0 360 हिसाली रोड गाँव महीद्दीनपुर हिसाली सूर्या विहार मुरादनगर गाजियाबाद से बैटरी, इनवर्टर, मोबाइल

स्कैनर, स्कैप बैटरी -87 (ई-रिक्सा) स्क्रैप बैटरी -36(इनवर्टर /सोलर) चोरी कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 305(a),331(4),324(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के तत्काल अनावरण हेतु तुरन्त ही पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 16/17.02.2025 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्तों 1. कासिफ पुत्र सलीमुद्दीन निवासी गली नं0 13 मलिक नगर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 2. कामिल पुत्र अख्तर निवासी गांव जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 3. सचिन पुत्र जयभगवान निवासी बैंक औफ बड़ोदा बाली गली कृष्णा कालोनी थाना मुरादनगर गा0बाद उम्र करीब 30 वर्ष 4. सलमान पुत्र शौकीन निवसी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 5. राहुल पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को पैरीफेरल एक्सप्रेस वे के किनारे सर्विस रोड की जगह कनौजा जंगल से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की गयी 75 अदद औकाया कम्पनी की बैटरी (जिसमें 50 बैटरी ई – रिक्शा व 25 बैटरी बडी) व 03 अदद औकाया कम्पनी के इनवर्टर सील बन्द व घटना में प्रयुक्त एक कार आई-10 रंग लाल रजि0 नं0 DL7CL2478 बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त घटना में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब यह वही बैटरी/इन्वर्टर है जिन्हे हमने हिसाली फाटक के पास औकाया के गोदाम के पीछे के गेट का ताला तोड़कर व मेन गेट की चादर काटकर अन्दर घुसकर दिनांक 13/14.02.2025 की रात को चोरी किया था और इसी गाडी से लादकर यहां कनौजा जंगल में पैरीफेरल एक्सप्रेस वे के किनारे झाड़ियो में लाकर छिपा दिया था। इनमें से कुछ बैटरी हम जलालपुर के सोनू व मुल्ला को दे चुके है तथा आज फिर इन्ही लोगो को ये बची हुई बैटरी व इन्वर्टर देने जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1. कासिफ पुत्र सलीमुद्दीन निवासी गली नं0 13 मलिक नगर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष
2. कामिल पुत्र अख्तर निवासी गांव जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
3. सचिन पुत्र जयभगवान निवासी बैंक औफ बड़ोदा बाली गली कृष्णा कालोनी थाना मुरादनगर गा0बाद उम्र करीब 30 वर्ष
4. सलमान पुत्र शौकीन निवसी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
5. राहुल पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त कामिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर जुआ अधि0/नकबजनी के 02 अभियोग, अभियुक्
कासिफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर नकबजनी का 01 अभियोग, अभियुक्त सचिन उपरोक्त के
विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी/नकबजनी के 02 अभियोग, अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध थान
मुरादनगर पर मारपीट, नकबजनी के 02 अभियोग, अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर प
चोरी, नकबजनी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकार
की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- चोरी की गयी 75 अदद औकाया कम्पनी की बैटरी (जिसमें 50 बैटरी ई-रिक्शा व 25 बैटरी बडी) 03 अदद औकाया कम्पनी के इनवर्टर सील बन्द।
- घटना में प्रयुक्त एक कार आई-10 बरामद।

<u>गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-</u>

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 14.02.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी कि दिनांक01.02.2025 को समय करीब 14.30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पुत्र गोपी को ईट मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया, जिसकी दिनांक 14.02.2025 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा-103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्त का पता लगाने हेतु टीमों का गठन किया गया एवं घटना स्थल के आस-पास सीसीटीवी फुटेज को चैक किया गया व मैनुअल इन्पुट आदि से अथक प्रयास करते हुए घटना सफल अनावरण किया गया तथा घटना कारित करने वाले अभियुक्त की तलाश की गयी।
आज दिनांक 17.02.2025 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वाराउपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तआकाश उर्फ विशाल पुत्र अजय पाल हाल निवासी शानि चौक के पास आदर्श कालोनी बिहारीपुरा मे किराये का मकान थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता ग्राम नबीपुर थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात उम्र करीब उम्र 19 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर चित्रावन सोसायटी के पास के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सीमेन्ट की ईट को घटना स्थल के पास से बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्तने पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं अपने दोस्तो के साथ दिनांक 01.02.2025 को चित्रावन सोसायटी के पास खाली पडे मैदान में बैठा हुआ था, समय करीब 02 बजे दोपहर गोपी (मृतक) वहां पर आया तथा मेरे मोबाइल जिसमें मैं गानासुन रहा उसको उठाने लगा, मैने उसको फोन वापस रखने के लिए कई बार कहा परन्तु उसने फोन नही रखा और मैने उसको थप्पड मार दिया था फिर वो मुझे गाली देकर मैन रास्ते की तरफ भागने लगा, मैने उसका पीछा किया तथा चित्रावन सोसायटी के पास खाली पडे मैदान में मैन रास्ते के पास उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया तथा जान से मारने की नियत से वहां पर पडी ईट से उसके मुंह पर कई वार किये और उसे मरा हुआ जानकर वहां से भाग गया था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

आकाश उर्फ विशाल पुत्र अजय पाल हाल निवासी शानि चौक के पास आदर्श कालोनी बिहारीपुरा मे किराये का मकान थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता ग्राम नबीपुर थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात उम्र करीब उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल ईट (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 हत्या से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा मोबाइल टावर से RRU (टावर उपकरण) चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से टावर के 02 RRU (टावर उपकरण) बरामद।

दिनांक 15.02.2025 को थाना लोनी पर वादी श्री प्रवीन पुत्र श्री दयाराम निवासी पटेल नगर मार्ग गाजियाबाद व वादी श्री रामकुमार पुत्र श्री रंजीत सिंह निवासी शिवम इन्फ्राकोम प्रा0 लि0 सैक्टर 69 नोएडा गौ0बु0नगर द्वारा मोबाइल टावर से चोरी के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिये गये जिन पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में मु0अ0स0 96/2025 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 97/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया व घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

दिनांक 16.02.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मोबाइल टावर से चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गणों 1.नजमुद्दीन पुत्र नईम अहमद निवासी कस्बा नहटौल थाना नहटौल जिला बिजनौर हाल पता शिव पुरी चौक श्याम पार्क थाना जगतपुरी दिल्ली उम्र 26 वर्ष 2. साहिल पुत्र खलील निवासी आशियाना सिटी हड्डी फैक्ट्री के सामने अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद उम्र 22 वर्ष को चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया तथा टावर से चोरी किये उपकरण 02 RRU व टावर चोरी की घटना से सम्बधित अभि0 नजमुद्दीन से 520 रूपये व अभि0 साहिल से 460 रूपये रूपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त गणों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों आपस में मित्र है। हम दोनों मिलकर मोबाइल टावर से मशीन (उपकरण) को चोरी करके चलते फिरते कबाडी को बेच देते है। हमने पहले एक टावर से RRU चोरी किया था जिसे हमने राह चलते कबाडी को बेच दिया था। जो पैसे आपको हमसे मिले हैं, ये उसी RRU को बेचे गये रूपयों में से बचे हुए पैसे हैं, हमने फिर से अशोक विहार में से एक टावर से RRU मशीन चोरी की थी। ये दोनों जो हमसे मिली है, वही RRU मशीने है। हम दोनों मिलकर इन RRU को बेचने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. नजमुद्दीन पुत्र नईम अहमद निवासी कस्बा नहटौल थाना नहटौल जिला बिजनौर हाल पता शिव पुरी चौक श्याम पार्क थाना जगतपुरी दिल्ली, उम्र 26 वर्ष

2. साहिल पुत्र खलील निवासी आशियाना सिटी हड्डी फैक्ट्री के सामने अशोक विहार थाना लोनी, उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

टावर से चोरी के 02 RRU उपकरण व 980 रूपये बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

थाना लोनी पर अभियुक्त गण के विरूद्ध टावर से चोरी के सम्बध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>-

थाना लोनी पुलिस टीम